

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प 9(45) राज-6/16/26

जयपुर, दिनांक:- 27/3/18


अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम सं0 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(12) राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की शर्त संख्या 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान कीमतों के समान होगी" के पश्चात तथा विद्यमान विराम चिन्ह "।" से पूर्व अभिव्यक्ति "किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों को इस हेतु देय राशि, राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेंसन) में से समायोजित की जायेगी" अन्तःस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. सचिव, (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक
.....20-03-18..... प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव